राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांकः– प.2(1)गृह–9/2012 जयपुर, दिनांक 30.9.2021

परामर्शदात्री

विशेषज्ञों द्वारा प्रदेश में कोविड–19 की तीसरी लहर आने की संभावना व्यक्त की गई है। गत वर्ष कोविड–19 से संक्रमित व्यक्तियों को आतिशबाजी से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वसन तंत्र में होने वाली संभावित खराबी के कारण आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अतिरिक्त आतिशबाजी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। आतिशबाजी के धुएं से वृद्धजन, बीमार व्यक्ति, सीओपीडी, अस्थमा और कोविड–19 के रोगियों के पश्चातवर्ती प्रभावों पर विपरीत असर पड़ता है। अतः इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु दिनांक 01.10.2021 से 31.01.2022 तक सभी प्रकार की आतिशबाजी को बेचने व चलाने पर प्रतिबन्ध लागू किया जाना आवश्यक है।

अतः राज्य सरकार विस्फोटक अधिनियम, 1884 सहपठित विस्फोटक नियम, 2008 में आतिशबाजी के अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अनुज्ञापत्र अधिकारी (Licensing Authority) को यह परामर्श देती है कि राज्य में नागरिकों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी न करें।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक, पुलिस(अपराध), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
4. संभागीय आयुक्त, समस्त।
5. महानिरीक्षक रेंज, समस्त।
6. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
7. जिला मजिस्ट्रेट, समस्त।
8. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

(देवेन्द्र कुमार)
संयुक्त शासन सचिव